*प्रेस नोट*

*जनपद भदोही*

*दिनांक: 27 सतम्बर 2026*

*भदोही पु लस की बड़ी कार्रवाई, गोवंश तस्करी करने वाले शातिर अंतरराज्यीय गरोह के गैंग लीडर सहित 04 अ भयुक्तों पर गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत, गैंग का एक और स क्रय सदस्य गरफ्तार*

*श्री अ भनव त्यागी* पु लस अधीक्षक भदोही के निर्देशन में व अपर पु लस अधीक्षक भदोही *श्री शुभम अग्रवाल* के पर्यवेक्षण में अपरा धयों और संगठित मा फयाओं के वरुद्ध चलाए जा रहे अ भयान के तहत, थाना कोईरौना पु लस द्वारा गोवंश की अवैध तस्करी करने वाले एक अत्यंत शातिर और भय का पर्याय बन चुके अंतरराज्यीय गरोह के वरुद्ध उत्तर प्रदेश गरोह बन्द एवं समाज वरोधी क्रयाकलाप (निवारण) अ धनियम (गैंगस्टर एक्ट) के तहत मुकदमा पंजीकृत कर बड़ी कार्रवाई की गई है। इसके साथ ही, त्वरित कार्रवाई करते हुए पु लस टीम ने गैंग के एक गैंगस्टर अ भयुक्त को गरफ्तार करने में सफलता हा सल की है।

*गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई का ववरण:-*

यह गरोह अत्यंत संगठित होकर समाज वरोधी कार्यों में लप्त है। इनके बढ़ते अपराधों और समाज में व्याप्त भय व दहशत पर अंकुश लगाने हेतु थाना कोईरौना पु लस द्वारा एक वस्तृत गैंग चार्ट तैयार कर उच्चा धकारियों के माध्यम से जिला धकारी महोदय को भेजा गया था। इसके अनुपालन में थाना कोईरौना पर इन अ भयुक्तों के वरुद्ध मु०अ०सं० 174/26 धारा 3(1) उ०प्र० गैंगस्टर अ धनियम के तहत अ भयोग पंजीकृत कया गया है।

*गैंगलीडर एवं सदस्यों का ववरण:-*

1.गैंग लीडर इकबाल कुरैशी पुत्र नसीम कुरैशी – निवासी: वॉर्ड नंबर 2, पठान टोला चैनपुर, थाना चैनपुर, जनपद भभुआ (कैमूर), बिहार।

2.स क्रय सदस्य ओमप्रकाश कनौजिया उर्फ वशाल पुत्र लाल बहादुर कनौजिया उम्र करीब 20 वर्ष – निवासी: ग्राम इटहरा, थाना कोईरौना, जनपद भदोही।

3.स क्रय सदस्य राहुल कुमार पुत्र छोटेलाल उम्र करीब 30 वर्ष – निवासी: ग्राम इटहरा, थाना कोईरौना, जनपद भदोही।

4.स क्रय सदस्य अ मत संह उर्फ सूर्यभान संह उर्फ सुहुल उर्फ शवम पुत्र जटाशंकर संह – निवासी: ग्राम इटहरा, थाना कोईरौना, जनपद भदोही।

*अपराध का तरीका एवं पंजीकृत अ भयोग:-*

यह गरोह एक सुसंगठित अंतरराज्यीय गैंग है जो अपने और अपने सदस्यों के नाजायज आ र्थक, भौतिक एवं दुनियावी लाभ के लए क्रूरतापूर्वक गोवंशों (बैल/सांड) को वाहनों में लादकर वध हेतु पंडुआ (पश्चिम बंगाल) ले जाने जैसे जघन्य अपराध कारित करता है। इसी आपरा धक कृत्य के तहत, दिनांक 08.03.2026 को तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक श्री रामनगीना यादव द्वारा पु लस टीम के साथ चे कंग के दौरान एक सफेद रंग की स्कॉ र्पयो गाड़ी को पकड़ा गया था, जिसमें क्रूरतापूर्वक लादे गए 03 रा श गोवंश (बैल/सांड) बरामद हुए थे। इस घटना के सम्बन्ध में थाना कोईरौना पर मु०अ०सं० 35/2026 (धारा 3/5A/8 गोवध निवारण अ धनियम, 11 पशु क्रूरता अ धनियम व 207 एमवी एक्ट) पंजीकृत कया गया था।

* गरफ्तारी का ववरण:-*

गैंगस्टर एक्ट के पंजीकरण के बाद दिनांक 26.09.2026 को उक्त गरोह के एक शातिर अ भयुक्त को गरफ्तार कर जेल भेजा गया था। आज दिनांक 27.09.2026 थाना कोईरौना पु लस टीम द्वारा इस गरोह के एक और शातिर सदस्य को गरफ्तार कया गया है।

* गरफ्तार अ भयुक्त का नाम व पता:-*

ओमप्रकाश कनौजिया उर्फ वशाल पुत्र लालबहादुर कनौजिया निवासी ग्राम इटहरा, थाना कोईरौना, जनपद भदोही उम्र लगभग 20 वर्ष।

* गरफ्तार करने वाली पु लस टीम:-*

उ0नि0 काशीनाथ यादव मय हमराह पु लस टीम थाना कोइरौना जनपद भदोही।